



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 486 राँची, मंगलवार, 21 आश्विन, 1942 (श०)
13 अक्टूबर, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2020

संख्या-2/रा० स्था० शक्ति प्रदत्त -03/17-2802/रा.-- झारखण्ड राज्यान्तर्गत वैसे जिले जहाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का पद रिक्त है एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता पदस्थापित हैं वैसे स्थिति में संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन होने तक के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

2. भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद रिक्त होने एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पदस्थापित होने की स्थिति में संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता के नियमित पदस्थापन होने तक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

3. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में संबंधित जिला के अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन होने तक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के उपायुक्त तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव

सरकार के संयुक्त सचिव
